

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

दूरभाष संख्या 0141-2740252, 2740219,

फैक्स संख्या 0141-2740292, ई-मेल :- add.gis.sipf.rajasthan.in

क्रमांक :- साबीनि/जीपीए/रा.कर्म./पार्ट-4/2017-18/198-411

दिनांक :- 23.4.18

परिपत्र

विषय:- राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2018-19 के सम्बन्ध में।

वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 4(72) वित्त/राजस्व/94 लूज दिनांक 16.04.2018 द्वारा दिनांक 01.05.2018 से 30.04.2019 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न संगठनों में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल हैं, विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु की जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से तीन लाख रुपये प्रति कार्मिक बीमाधन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी (राज्यकर्मी) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।

उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जावेंगे:-

1. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30.04.18 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31.05.18 तक साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, दिनांक 01.05.2018 से कवर माने जायेंगे।
2. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.05.2018 एवं इसके पश्चात है और उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा की तिथि से कवर माने जायेंगे।

उक्त योजना के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित नहीं माने जावेंगे:-

1. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी, जिनके लिए पृथक से जीपीए (पुलिसकर्मी) योजना संचालित की जा रही है।
2. नगरपालिका/नगर निगम आदि संस्थाओं के कार्मिक, जिनके लिए पृथक से जीपीए योजना संचालित की जाती है।

उक्त योजना के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. उक्त योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि रुपये 220/- अप्रैल देय मई, 2018 के वेतन बिल से काटी जानी है।
2. जिन डीडीओ के द्वारा पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओ के द्वारा बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2018 तक प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के माह अप्रैल 2018 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से सम्बन्धित आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गयी है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2018 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, वे निजी स्तर से प्रीमियम राशि रुपये 220/- बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2018 तक जमा करानी होगी। ई-ग्रास का पता <http://www.egras.raj.nic.in> है, जिस पर जाकर उक्त राशि जमा करायी जा सकती है।
4. प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति करायी जाना आवश्यक है। जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा एस. आई. पी. एफ. पोर्टल में गत वर्ष या उससे पूर्व वर्षों में प्रस्ताव पत्र भरा जा चुका है तथा उनमें वर्तमान में कोई संशोधन नहीं किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में उन राज्यकर्मीयों के लिए एस. आई. पी. एफ. पोर्टल में नए सिरे से प्रस्ताव पत्र भरा जाना आवश्यक नहीं होगा। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत पे-मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर

- कटौती पत्र वेतन बिज्ञों के साथ संलग्न कर कोष-कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नकद राशि बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31.05.2018 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक में जमा करवाएंगे।
 6. जिन कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 30.04.2018 एवं इससे पूर्व है, उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि दिनांक 31.05.2018 तक जमा कराया जाना अनिवार्य है, इसके पश्चात् प्रीमियम जमा कराने पर उक्त बीमा पॉलिसी के परिलाभ देय नहीं होंगे।
 7. वेतन बिल/चालान (पे मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास सिस्टम) द्वारा प्रीमियम जमा कराने हेतु बजट मद निम्नानुसार होंगी:

8011	—	बीमा तथा पेंशन निधि
107	—	राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना
(01)	—	राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

8. आहरण एवं वितरण अधिकारी चालान की एक प्रति अग्रपेण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल प्रस्ताव पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध है और पॉलिसी की शर्त के अनुसार मनोनीत का विवरण भरवा लिया गया है।
9. ई-ग्रास के माध्यम से चालान बनाते समय Add-More Detail के माध्यम से कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों का विवरण ई-ग्रास पोर्टल में फीड किया जावे।
10. प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीडीओ के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जावेगा।
11. यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व जमा नहीं कराया गया है तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने/विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व संबंधित डीडीओ वहन करेंगे।
12. यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशन-ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से परिशिष्ट - "क" फॉर्म भरवाकर उनके माह अप्रैल 2018 के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जावे।
13. सभी मामलों में प्रीमियम राशियां तो पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा करायी जावेगी। उक्त ई-चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएंगे संबंधित/कर्मचारी के मनोनीत का नाम एवं सम्बन्ध स्पष्टतः अंकित किया गया हो।
14. दिनांक 01.05.2018 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2018-19 के लिए प्रीमियम की राशि 220/- एकमुश्त कटौती आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से परिशिष्ट "क" अवश्य भरवाया जाएगा। उक्त कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा। प्रोरेटा आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है:


प्रीमियम * नियुक्ति दिनांक से 30.04.2018 तक शेष दिनों की संख्या

365

15. सभी कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल में जीपीए के प्रस्ताव पत्र (Proposal Form) को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। अतः सभी डीडीओ निर्धारित समयावधि में प्रीमियम जमा कराने के बाद एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र एवं कटौती का विवरण सम्बन्धित स्क्रीन में फीड करें। जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा एस. आई. पी. एफ. पोर्टल में गत वर्ष या उससे पूर्व वर्षों में प्रस्ताव पत्र भरा जा चुका है तथा उनमें वर्तमान में कोई संशोधन नहीं किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में उन राज्यकर्मियों के लिए एस. आई. पी. एफ. पोर्टल में नए सिर से प्रस्ताव पत्र भरा जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. सभी डीडीओ से यह अपेक्षित है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवें और उन्हें मनोनीत/परिजनों को उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें। पॉलिसी द्विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
17. सभी डीडीओ से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति/मृत्यु की अवस्था में मनोनीत/परिजनों को निर्धारित समयावधि में एफआईआर, एफआर, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट/पीएमआर आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा प्रपत्र पेश कराने में प्राथमिकता से सहयोग करें एवं एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विलम्ब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना अथवा मनोनीत के द्वारा देर से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना दर्शाया जाता है। अतः सभी डीडीओ के द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में एफआईआर एवं पीएमआर की

- अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
18. जीपीए (राज्यकर्मी) योजना का विकेंद्रीकरण कर दिये जाने के कारण प्रीमियम जमा कराने अथवा दावा प्रस्तुत करने सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक से किया जावे। किसी भी अवस्था में वित्त भवन, जयपुर के पते पर प्रीमियम अथवा दावा प्रपत्र प्रेषित नहीं किया जावे, केवल जिला कार्यालयों के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू/रिविजन के प्रकरण अथवा शिकायत के सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर से पत्र व्यवहार करें।
19. जीपीए (राज्यकर्मी) से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं पूर्व की भांति रहेंगी।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।


(गणेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि,
वित्त भवन, जयपुर

क्रमांक :- साबीनि/जीपीए/रा.कर्म./पार्ट-4/2017-18/198-411 - 23.4.2018.

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
10. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग.....
-
11. रक्षित पत्रावली

(ऋतु जन्दा)
अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि,
वित्त भवन, जयपुर